Neutral Citation No. - 2026:AHC:50037-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दांडिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या **- 3099** वर्ष **2026**

चंदा और 5 अन्य ..... याचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

याचीगण के अधिवक्ता : बुद्ध प्रकाश

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : जी०ए०

<u>न्यायालय संख्या **- 45**</u>

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए विद्वान ए०जी०ए० को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2. एकदम आरंभ में ही, राज्य के लिए विद्वान ए०जी०ए० ने इंगित किया है कि वर्तमान मामले में, अन्वेषण पहले ही पूर्ण हो चुका है और आरोप-पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका है।

3. इसके विपरीत, याचीगण के विद्वान अधिवक्ता पूर्वोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने निवेदन किया है कि वह इस रिट याचिका पर बल नहीं देना चाहते हैं और उचित प्रक्रम पर उचित मंच के समक्ष जाने की स्वतंत्रता के साथ इसे वापस लेने की मांग करते हैं।

4. राज्य के लिए विद्वान ए०जी०ए० को पूर्वोक्त प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not for Legal Use.

5. उपर्युक्त के दृष्टिगत, यह रिट याचिका पूर्वोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस ली गई मानते हुए खारिज की जाती है।

मार्च **11, 2026**

वी०के०जी०

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।